

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री रामकिशोर बागड़ा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मुण्डियारामसर, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, सालरिया कला-बनेडा जिला भीलवाडा किया गया। श्री रामकिशोर बागड़ा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-87/2020 श्री रामकिशोर बागड़ा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-87/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-27.01.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री रामकिशोर बागड़ा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री रामकिशोर बागड़ा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पिता का ऑपन हार्ट सर्जरी कर हृदय का वॉल्व बदलने के अतिरिक्त डायबीटिज व अल्सर से पीड़ित होने, माताजी पेट संबंधी बीमारी से पीड़ित होने, स्वयं की सड़क दुर्घटना में बांये हाथ में स्टील की प्लेट लगी हुई होने के कारण बांया हाथ केवल 50 प्रतिशत ही कार्य करने एवं गत माह 11.01.2020 को स्कूटी स्लिप होने के कारण बांये पैर में फेक्चर हो जाने एवं पुत्री माईग्रेन से पीड़ित होने के कारण अपना पदस्थापन 1- राउमावि, हीरापुरा, जयपुर, 2-मुरलीपुरा बीड़, जयपुर, 3-मानकचौक, जयपुर, 4-माचवा-झोटवाडा, जयपुर, 5-श्योपुरा-झोटवाडा, जयपुर, 6-बा.झोटवाडा, जयपुर, 7-बा.चौडा रास्ता, जयपुर, 8-बा.गणगौरी बाजार, जयपुर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि, माचवा-झोटवाडा, जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./रामकिशोर बागड़ा/87/2020/36 दिनांक- 21/02/2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भीलवाडा/जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, सालरिया कला-बनेडा, भीलवाडा/माचवा-झोटवाडा, जयपुर
9. संबंधित कार्मिक-
10. गार्ड वंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर